



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 456/2026

मेसर्स नागवंशी कंस्ट्रक्शन मालिक आलोक

कुमार वर्मा के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव शहरी विकास

विभाग लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

मनोज कुमार

गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.,रियाज़ अहमद

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह और नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ- प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रियाज़ अहमद को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिकाकर्ता यहाँ नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ के लिए उसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के संबंध में जमा की गई सुरक्षा राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। याचिका के पृष्ठ 185 पर नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ का दिनांक 10.08.2023 का एक पत्र है, जिसमें 2 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की सुरक्षा राशि जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कुछ दस्तावेजों की मांग की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि वास्तव में सुरक्षा राशि संबंधित बिलों के अंतर्गत देय राशि से काटी गई थी, जैसा कि उन बिलों की छायाप्रति से प्रमाणित होता है जो नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ द्वारा स्वयं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए हैं।
3. नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मामला पुराना होने के कारण याचिकाकर्ता से दस्तावेजों की मांग की जा रही है, हालांकि, उनके पास नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ द्वारा स्वयं याचिकाकर्ता को प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों के संबंध में कोई उत्तर नहीं है, जो उनके अनुसार बिल के अंतर्गत देय राशि से सुरक्षा राशि की कटौती को दर्शाते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज जमा कर दिए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी इस मामले में निर्णय लेंगे।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ द्वारा स्वयं उपलब्ध कराए गए बिलों/दस्तावेजों के आधार पर मामले में निर्णय लेने दें, बशर्ते उक्त दस्तावेजों की सत्यता और प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाए और नगर पंचायत, काकोरी, लखनऊ के अभिलेखों में उपलब्ध मूल प्रतियों से उनका मिलान किया जाए। उन्हें तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।
5. उपर्युक्त के आधार पर, याचिका निस्तारित की जाती है। हमने दावे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

28 जनवरी, 2026

अर्निमा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।